रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052024-254052
CG-MH-E-06052024-254052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313] नई दिल्ली, सोमवार , मई 6, 2024/वैशाख 16, 1946
No. 313] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 16, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 6 मई 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/172.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में,-

   I. विनियम 79 में,

i. उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) के बाद और *स्पष्टीकरण* से पहले, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इस विनियम में दी हुई कोई भी बात सक्षम प्राधिकारी की उस शक्ति को कम नहीं करेगी, जिसके अनुसार वह बोर्ड को हुए आर्थिक नुकसान की रकम किसी कर्मचारी से कानूनी प्रावधानों के दायरे में वहाँ-वहाँ से वसूल करने का निदेश दे सकता है जहाँ-जहाँ से और जितना बोर्ड के लिए ऐसा करना संभव हो, यानि कि वेतन में से ऐसे नुकसान की रकम वसूलने के अलावा बोर्ड की ओर से देय और कर्मचारी को अदा की जाने वाली रकम में से भी वसूली करने का निदेश दिया जा सकेगा, हालाँकि इस प्रकार वसूली जाने वाली कुल रकम तय किए गए आर्थिक नुकसान की रकम से ज्यादा न हो ।"

ii. *"स्पष्टीकरण"* अब *"स्पष्टीकरण-1"* बन जाएगा और *"स्पष्टीकरण-1"* के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण-2: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, यदि कार्यवाहियाँ किसी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान [फिर चाहे उसके सेवानिवृत्त होने से पहले / उसके मूल संवर्ग (पैरेंट काडर) में लौटने से पहले/ उसकी कॉण्ट्रैक्ट (संविदा) की अवधि समाप्त होने से पहले या उसे फिर से नियुक्त किए जाने के दौरान] शुरू की गई हों, तो ऐसे में उस कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद / उसके मूल संवर्ग (पैरेंट काडर) में लौटने के बाद / उसकी कॉण्ट्रैक्ट (संविदा) की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यही माना जाएगा कि वह कार्यवाही इस विनियम के तहत शुरू की गई है, और वह कार्यवाही जिस प्राधिकारी के समक्ष शुरू की गई हो उसी प्राधिकारी के समक्ष उसी प्रकार चलती रहेगी और पूरी की जाएगी, मानो कि उस कर्मचारी का सेवाकाल अभी भी जारी हो ।"

II. विनियम 87 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"बोर्ड की सेवा छोड़कर जा चुके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

87क. जहाँ किसी कर्मचारी ने बोर्ड की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया हो या फिर वह सेवानिवृत्त हो चुका हो या जिसकी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) / कॉण्ट्रैक्ट (संविदा) की अवधि पूरी हो चुकी हो और उस पर उसके सेवाकाल के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगा हो, तो ऐसे में उस पर लगे उस आरोप के संबंध में कार्यवाही उसी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर मंजूर की जाए ।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, जब किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13 में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का आरोप लग जाए या फिर उस पर गलत मकसद से अथवा भ्रष्ट तरीके से कार्य करने का आरोप लग जाए या फिर उस पर गलत मकसद से या भ्रष्टाचार करने के मकसद से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने अथवा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करने का आरोप लग जाए, तभी यह माना जाएगा कि कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ।"

III. विनियम 93 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(4) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, विनियम 79 से विनियम 82 के तहत किसी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाहियाँ जब तक चलती रहेंगी तब तक उस कर्मचारी को मिलने वाली उपदान (ग्रेच्युटी) की पूरी रकम या उपदान की रकम में से कुछ रकम रोककर रखी जा सकेगी, और इस प्रकार रोककर रखी गई यह रकम कार्यवाहियाँ पूरी होने के बाद कर्मचारी को अदा कर दी जाएगी, लेकिन यह रकम कर्मचारी को कार्यवाहियों के संबंध में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर और कर्मचारी से वसूली जाने वाली रकम काटकर अदा की जाएगी ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./082/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. ये विनियम तत्पश्चात् -

(क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा

(ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा

(ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा

(घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा

(ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा

(च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा

(छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा

(ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा

(झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2013-2014/27/6721, द्वारा

(ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा

(ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ/ओ.आई.ए.ई./जी.एन.2015-16/002, द्वारा

(ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा

(ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा

(ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा

(ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा

(त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा

(थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा

(द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा

(ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा

(न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा

(प) 5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा

(फ) 24 जनवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65, द्वारा

(ब) 22 जून 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/87, द्वारा

(भ) 30 दिसम्बर 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/111, द्वारा

(म) 15 मई 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/129, द्वारा

(य) 20 अक्तूबर 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/156, द्वारा

(कक) 7 फरवरी 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/165, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/172.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—

I. In regulation 79,

i. in sub-regulation (2), after clause (e) and before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely,–

"Provided that nothing contained in this regulation shall limit the power of the Competent Authority to direct recovery from an employee of the amount of pecuniary loss caused to the Board by all means available to the Board under the law including, to the extent permissible, from such amounts due from the Board and payable to the employee, in addition to recovery of such loss from the pay, howsoever that the total amount so recovered does not exceed the amount of pecuniary loss quantified."

ii. the "*Explanation*" shall be renumbered as "*Explanation 1*" and after *Explanation 1*, the following shall be inserted, namely,–

"Explanation 2: For the purpose of this regulation, proceedings if instituted while the employee was in service whether before retirement/ repatriation to the parent cadre/ completion of contract period or during re-employment shall, after the final retirement/ repatriation to the parent cadre/ completion of contract period of the employee, be deemed to be a proceeding under this regulation and shall be continued and concluded by the authority before which it commenced in the same manner as if the employee had continued in service."

II. After regulation 87, the following new regulation shall be inserted, namely,–

"Action against employees who have left the services of the Board.

87A. Where an employee who has resigned or retired from the services of the Board or has completed the tenure of deputation/contract with the Board is alleged to have indulged in corrupt practices during the period of service, then the said allegation shall be dealt with as per the procedure approved by the Competent Authority from time to time.

Explanation: For the purpose of this regulation, an allegation shall be deemed to indicate corrupt practice if the employee is alleged to have committed an act of criminal misconduct as provided in section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or is alleged to have acted for an improper purpose or in a corrupt manner or is alleged to have exercised or refrained from exercising the powers with an improper or corrupt motive."

III. In regulation 93, after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely,–

"(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, the gratuity payable to an employee may be withheld either in full or part, during the pendency of any proceedings initiated against an employee under regulations 79 to 82 and the withheld gratuity shall be paid to the employee on conclusion of the proceedings, subject to the decision of the proceedings or any recoveries to be effected from the employee."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./082/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).

2. They were subsequently amended –

(a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.

(b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).

(c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.

(d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.

(e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.

(f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.

(g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.

(h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.

(i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.

(j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.

(k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.

(l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.

(m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.

(n) On 27th April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.

(o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.

(p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.

(q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.

(r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.

(s) On 13th August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.

(t) On 8th May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.

(u) On 5th August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26.

(v) On 24th January, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/65.

(w) On 22nd June, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/87.

(x) On 30th December, 2022 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/111.

(y) On 15th May, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/129.

(z) On 20th October, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/156.

(aa) On 7th February, 2024 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2024 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/165.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.06 21:21:47 +05'30'